पत्रांक–01/स्था0 (विविध)–39/2017 4191 न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शिव प्रसाद राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको)।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक–22/6/17

विषयः– **बाढ़ नियंत्रण आदेश–2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1934 दिनांक–11.05.17 द्वारा राज्य में आसन्न बाढ़ की संभावना के आलोक में बाढ़ नियंत्रण आदेश–2017 जारी किया गया है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न बाढ़ नियंत्रण आदेश–2017 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
22.6.17
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिंचाई-14/92(अंश)- 1934

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

D.M.A

19 MAY 2017

प्रेषक:-

श्री अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक ।

पटना, दिनांक- 11/5/17

विषय:- बाढ़ नियंत्रण आदेश- 2017

महाशय,

बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सभी पदाधिकारियों को बाढ़ अवधि में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मुकाबला एकजुट होकर करना है । किसी भी स्तर पर लापरवाही होने से उसका भयंकर परिणाम निकल सकता है । अत: हर स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित निदेशों का सावधानी एवं जिम्मेवारी से अनुपालन आपके एवं आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए । साथ ही अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाना चाहिए कि वे बाढ़ नियंत्रण कार्यो में आनेवाले व्यवधानों को दूर करने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो में तकनीकी पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का हर संभव प्रयास करें । लापरवाह पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए तथा अच्छे पदाधिकारियों का मनोबल उठाये रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ।

2- बाढ़ अवधि के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्यो यथा बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों के कमजोर स्थलों की मरम्मति, बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मति, महामारी की रोकथाम के लिये दवाओं का प्रबंध आदि के लिए बाढ़ के यथेष्ट पहले सभी व्यवस्था पूरा करा देना अत्यंत आवश्यक है।

3- अनुरोध है कि संलग्न बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा कराया जाय ।

अनु0:-यथोपरोक्त ।
बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की प्रति ।

विश्वासभाजन

9/5/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार, पटना

पत्र पंजी
22 MAY 2017
4578
संख्या............

Dinesh/Flood 2017

ज्ञाप सं0-बाढ़(मो0)सिं0-14/92(अंश)- 1935 /पटना, दिनांक:- 11/5/17

प्रतिलिपि- सभी अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं तदनुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं0-बाढ़(मो0)सिं0-14/92(अंश)- 1935 /पटना, दिनांक:- 11/5/17

प्रतिलिपि- बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की एक प्रति के साथ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, पटना/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ गृह विशेष विभाग, बिहार पटना/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ अध्यक्ष, कोशी क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा/ सोन क्षेत्र विकास अभिकरण पटना/ गंडक क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/ किउल, बदुआ, चंदन क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ कमाण्डर, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, दानापुर कैन्टोमेंट, दानापुर, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, मौर्य लोक, पटना/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,पटना/सहायक पुलिस महानिरीक्षक, संचार, पटना/प्रशासक, पटना नगर निगम, पटना/ संयुक्त सचिव, अभियंत्रण /बजट, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु:- बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

Dinesh\Flood 2017

बाढ़ नियंत्रण आदेश–2017

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>बाढ़ नियंत्रण आदेश-2017</u>

1.00 **सामान्य**

1.01 जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत, छः अदद मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित हैं, जो बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सम्पोषण तथा कार्यान्वयन करने के निमित्त विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे है । जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक नदियों पर बाढ़ सुरक्षात्मक योजनायें बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त बनायी गयी है । संबंधित मुख्य अभियन्ताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंध की सुरक्षा हेतु निरीक्षणोपरान्त कमजोर स्थलों को मजबूत कराने की कार्रवाई 15 जून, 2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरी कर ले ताकि बाढ़ के दिनों में आकस्मिक विफलता की स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके ।

1.02 विगत वर्षो की भाँति बाढ़ नियंत्रण कार्यो से संबंधित मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को समय रहते ही गश्ती-नियमावली निर्गत कर दें जिसमें इसका भी समावेश हो कि मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों की क्या-क्या जिम्मेवारियाँ होगी ।यदि किसी मुख्य अभियंता द्वारा तत्संबंधी आदेश तथा निदेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया है तो बिना और विलम्ब किये आवश्यक आदेश तथा निदेश निर्गत कर दें ।

1.03 बाढ़ गश्ती नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण कार्यो की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की जाय तथा बाढ़ मौसम में पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का भी जिक्र रहे । मुख्य अभियन्ता बाढ़ के दिनों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन सुरक्षात्मक कार्यो पर पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे, ताकि टूटान, चूहों के द्वारा किये गये छेदों एवं क्षतिग्रस्त भागों को 15 जून 2017 के पूर्व पूरा कर लिया जाय ताकि किसी प्रकार की क्षति तथा बाढ़ विभीषिका से बचा जा सके । मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि बाढ़ संघर्षात्मक मशीनरी बिल्कुल ही सुदृढ़ एवं चौकस स्थिति में रहे, ताकि बाढ़ का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके । मुख्य अभिंयता यह सुनिश्चित करेंगें कि अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनीय अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारी जो गश्ती कार्य पर तैनात किये गये है, वे बाढ़ की आपात स्थिति में यथोचित कार्रवाई करने हेतु चौकस है तथा अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का समर्पित भाव से निर्वाह कर रहे हैं । उनके द्वारा बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही /शिथिलता सरकार द्वारा गंभीरता से ली जाएगी ।

1.04 आपातकाल से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को कम से कम समय में भेजने हेतु मुख्य अभियंता समीपस्थ पुलिस बेतार / विभागीय बेतार/ फैक्स/ विशेष दूत का उपयोग करेंगें तथा इसके अतिरिक्त फोन/ मोबाइल से भी जानकारी देगें । वे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के लिये की गयी व्यवस्था का भी प्रतिवेदन ससमय देते रहेगें । मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को बाढ़ गश्ती नियमों का गहराई से अध्ययन तथा समय-समय पर दिये गये निदेशों को कार्यान्वित करने एवं उनके उपयोग पर जोर देंगे, ताकि बाढ़ नियंत्रण कार्यो को सुचारू रूप से किया जा सके ।

2.00 **केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग तथा क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष**

2.01 दिनांक 15.6.2017 से सचिवालय स्तर पर सिंचाई भवन में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग कार्य करना प्रारंभ करेगा, जो लगातार 24 घंटे दिनांक 31.10.2017 तक कार्यरत रहेगा । इस अवधि को किसी आपात स्थिति के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी इस अवधि में मुख्य अभियंता के सीधे अधीन, उनके मुख्यालय में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, जो बाढ़ संबंधी सूचनाओं की जानकारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को लगातार और ससमय देगा ।

मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना, द्वारा केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना पर अपना सीधा नियंत्रण रखा जाएगा । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अचंल, पटना के प्रभार में कार्य करेगा । इन्हे यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी दूसरे मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता से कर्मचारी तथा वाहन की मदद की मांग बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में कर सकेंगे ।

2.02 बाढ़ नियंत्रण कार्यो के प्रभारी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता, अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी यदि आवश्यक समझते हों तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अपने स्तर पर संबंधित मुख्य अभियंता के परामर्श से संगठित कर सकते है तथा आक्राम्य स्थलों पर भी नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर सकते है, ताकि संवादों का प्रवाह राज्य मुख्यालय को तीव्र गति से होता रहे ।

2.03 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना के लिये मार्ग निदेश परिशिष्ट-''क'' पर दर्शाया गया है । केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना में कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी इस निदेश का पालन कड़ाई से करेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगें । क्षेत्रीय स्तर मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़

नियंत्रण कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग, पटना के सदृश मा निदेश तैयार किये जायेंगे ।

2.04 ऐसा देखा जाता है कि जिला स्तरीय सामान्य प्रशासन के पदाधिकारी एवं विभागी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच बाढ़ के समय समन्वय में कभी-कभी कमी रह जात है, जिसके चलते क्षेत्रीय स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनव संबंध में भी मुख्यालय से निदेश की अपेक्षा की जाती है । सभी क्षेत्रीय मुख अभियन्ता प्रत्येक जिला पदाधिकारी के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में एव निर्धारित कार्यावली के तहत अनुभवी कनीय अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति करेंगे जिनव पास सभी विभागीय पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या, बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता क सूची इत्यादि उपलब्ध रहेगी ।

3.00 **<u>गश्ती</u>**

3.01 बाढ़ मौसम में तटबंधों की सुरक्षा तथा आक्राम्य स्थलों पर चौकसी रखने के लिए गश्त की सुदृढ़ व्यवस्था बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत बाद गश्ती नियमावली में परिभाषित पदाधिकारियों के कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुकूल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में पड़ने वाले तटबंधों की सुरक्षा हेतु गहन निरीक्षण करेंगे, ताकि तटबंधों में सीपेज, पाईपिंग, कटाव इत्यादि के कारण उत्पन्न स्थितियों क प्रभावकारी ढंग से सामना किया जा सके । किसी भी आपदा को टालने अथवा इसम वृद्धि को रोकने के ख्याल से एहतियाती कार्रवाई शीघ्र तथा सामयिक किया जाना चाहिए ताकि आक्राम्य स्थलों को सुरक्षित रखा जा सके ।

3.02 बाढ़ अवधि 2017 (15 जून से 31 अक्टूबर-2017) में राज्य की विभिन्न नदियों प अवस्थित तटबंधों की कड़ी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गृह रक्षकों की सशस्त्र अथवा लाठी बल के रूप में तैनात करने का कार्यक्रम है ।

जल संसाधन विभाग के क्षेत्रिय अभियन्ता/कर्मी पूर्व की भाँति तटबंधों, संरचनाओं इत्यादि पर नियमित गश्ती करेंगे एवं सतत् चौकसी बरतेंगे ।

3.03 पूर्व के अनुभवों के आधार पर विभिन्न तटबंधों के पुराने आक्राम्य स्थलों की पहचान की गयी है । यह आवश्यक है कि बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंता द्वारा वैसे आक्राम्य स्थलों की अद्यतन सूची बनाकर संबंधित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को तुरंत परिचारित कर दिया जाय । यह भी आवश्यक है कि वैसे स्थलों की सुरक्षा हेतु एहतियाती कार्रवाई आगामी बाढ़ आने से पूर्व पूरी कर ली जाय । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि इन आक्राम्य स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना किया जा सके । आक्राम्य स्थलों की सूची नदियों तथा तटबंधों के

नाम के साथ पाँच प्रतियों में नक्शों में दिखाकर 1 जून, 2017 (01.06.2017) तक मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, सिंचाई भवन, पटना को भेज दिया जाय ।

3.04 कंडिका 3.03 में वर्णित सभी आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्पर जो नदी की तीव्र धारा का सामना विगत वर्षो में कर चुका हो, जैसे नेपाल में कोशी एफलक्स बांध इत्यादि पर अहर्निश चौकसी आवश्यक है । यह निदेश दिया जाता है कि इन आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्परों पर चतुर्थ श्रेणी के दो-दो कर्मचारियों को 1 जून, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 के बीच स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया जाय । इन कर्मचारियों को एक पंजी भी दी जाए जिसमें नदी की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा कार्यो पर नदी के प्रभाव की स्पष्ट सूचना अंकित की जायेगी । प्रतिदिन पर्यवेक्षी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि कर्मचारियों की लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना उच्चतम पदाधिकारियों को देंगे । वे कार्य स्थल की पंजी पर प्रविष्टियों की सत्यता की भी जांच कर अपना हस्ताक्षर करेंगे।

3.05 ग्रामीणों द्वारा तटबंधों के काटे जाने जैसी समस्याओं को प्रभावकारी ढंग से कुशलतापूर्वक निपटाया जाना चाहिए, हालांकि ऐसी घटनायें यदा-कदा घटती है ।ऐसी घटनायें घटित नहीं हो इसके लिये आवश्यक है कि गहन गश्ती हेतु सशस्त्र पुलिस दलों की प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता जिन-जिन स्थलों पर गश्ती दलों को भेजना उचित समझेंगे, उसके लिये आवश्यक सशस्त्र पुलिस बलों की अधियाचना, संबंधित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी से समय रहते ही करेंगे, ताकि गश्ती कार्य को यथा समय प्रभावकारी ढंग से सम्पन्न कराया जा सके । जिला पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र दल प्रतिनियुक्त करने में हर संभव सहायता तत्परता से करेंगे । तटबंधों की देखभाल तथा सुरक्षा के समय यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जिला पदाधिकारी अविलम्ब इसके लिए कार्रवाई करेंगे । क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारी सतत् सम्पर्क बनाये रखेंगे, ताकि आपात स्थिति का सामना सही ढंग से किया जा सके ।

3.06 जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन की कील है । अतः बाढ़ के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये उन्हें चौकस रहना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ सशस्त्र बल को आक्राम्य स्थलों पर भेजने के समय इसकी कमी महसूस नही हो । जिला पदाधिकारी को चाहिए कि वे संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों के साथ संवेदनशील स्थलों पर अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें । मुख्य अभियन्ता से कार्यपालक अभियन्ता के स्तर के पदाधिकारी द्वारा, यदि सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग जिला पदाधिकारी से की जाये, तो वे प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करेगें । इस कार्य में पुलिस अधीक्षक को भी विश्वास में रखा जाय, ताकि किसी भी प्रकार की

विधि व्यवस्था पर काबू पाने तथा गश्ती के लिये आवश्यक सशस्त्र बलों का आकल संयुक्त रूप से किया जा सके ।

3.07 जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कही भी तटबंधों और इनकी ढालों प अतिक्रमण न रहे। सभी अतिक्रमण ससमय दूर हो जाय, जिससे अतिक्रमण हटने के बा तटबंधों की ढालों आदि से अत्यावश्यक पुनर्स्थापन का कार्य कार्यपालक अभियन्ता 15 जून 2017 के पूर्व करा सके । इसे प्राथमिकता दी जाय ।

3.08 बाढ़ सतर्कता की दृष्टि से गश्ती कार्य एवं सुरक्षा व्यवस्था विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो0 सिंचाई-विविध-37/88-2288 दिनांक 2.9.88 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने तटबंध तथा उनके आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा एवं गश्ती निमित्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति क व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक जिला में एक समिति गठित करने का निदेश दिया गया था यह आदेश बाढ़ 1988 में प्रत्येक जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गय था । इस वर्ष के आदेश प्रति परिशिष्ट 'ख'-पर संलग्न है । उक्त समिति प्रतिवष कार्यरत रहेगी, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है:-

1. जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. कार्यपालक अभियन्ता (बाढ़ नियंत्रण कार्यो से संबंधित)	सदस्य
4. आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित जिला स्तर के एक पदाधिकारी	सदस्य

समिति के कार्य का उल्लेख मुख्य सचिव के उपरोक्त पत्र में वर्णित है । समिति तदनुसा प्रतिवर्ष कार्य करेगी, ताकि तटबंधों पर किया गया अतिक्रमण तुरंत हट सके एवं तटबंध के आक्राम्य विन्दुओं की सुरक्षा की कार्रवाई में विलम्ब न हो ।

4.00 **जनता का सहयोग**

4.01 इन सब तथ्यों के बावजूद क्षेत्रीय पदाधिकारीगण जो बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो तथा विधि व्यवस्था के प्रभारी है, वे तटबंधों की सुरक्षा गश्ती तथा जन सहयोग प्राप्त करने मे यथासंभव अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते है । वैसे ग्राम-पंचायतें जो तटबंध के आसपास अवस्थित है, तटबंधों पर गश्ती कार्य तथा संभावित टूटान इत्यादि से संबंधित सूचनायें देने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है । जिला पदाधिकारियों को चाहिए कि वैसे पंचायतों के मुखियों की आपात बैठक बुलाये ताकि बाढ़ के दिनों मे संभावित जन-सहयोग का आकलन किया जा सके । गांव के स्वयं-सेवकों तथा चौकीदारों की सेवाओं की भी अधियाचना अवश्य ही की जाय, जिससे तटबंधों पर गश्ती की आवश्यकता तथा सूचनाओं को एकत्र करने में मदद मिल सके ।

4.02 **सैन्य सहायता**

अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में जब स्थिति असैनिक प्रशासन के नियंत्रण के बाहर की हो जाय तभी सैन्य सहायता की अधियाचना की जाय । ऐसी सहायता की मांग स्थानीय असैनिक प्रशासन तथा तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा राज्य के गृह विभाग से परामर्श पर ही लिया जाय ।

5.00 **सूचनाओं का सम्प्रेषण**

5.01 दूरभाष तथा बेतार यंत्र, बाढ़ सूचनाओं के द्रुत संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.1988 को एक बैठक हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए ।

5.01.1 **बाढ़ पूर्वानुमान**

(क) वर्षा तथा बाढ़ की अग्रिम सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था नेपाल तथा बिहार के बाढ़ क्षेत्रों से समय पर जिला पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए ।

(ख) तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर वायरलेस सेट रहना चाहिए, ताकि सूचना प्राप्त होने के बाद आम जनता को वस्तु स्थिति से आगाह किया जा सके ।

5.01.2 बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए ।

5.01.3 बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय ताकि एक सेट खराब होने पर अतिरिक्त सेट काम में लाया जाय । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक- 5.01.1 (ख), 5.01.2 तथा 5.01.3 पर कार्रवाई दिनांक 15.06.2017 तक सुनिश्चित कर लेंगे ।

5.01.4 दूरभाष के संबंध में मुख्य अभियन्ता, बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे ताकि आक्राम्य स्थलों पर 15.06.2017 तक दूरभाष की स्थापना सुनिश्चित हो सके । दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे । वैसे पदाधिकारीगण जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो में संलग्न है, वे आवश्यकता पड़ने पर निकटवर्ती थाना का दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को देंगे अथवा निकटवर्ती थाना के बेतार तथा रेलवे के टेलीग्राफ प्रणाली का भी उपयोग कर सकेंगे ।

5.01.5 कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसायें मुख्य सचिव के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-5362 दिनांक 22.12.1997 द्वारा गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक को भेजी गयी है । उसमें उल्लेख है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे वायरलेस सेट काम करता रहे ताकि सूचनायें केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को निरंतर प्राप्त होती रहे । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) क्रमांक 5.01.5 के प्रति